से पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।

18/5/23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिन्हें शा० पत्र० पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

राजस्थान –सरकार

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 29/23 प्रा०पत्र

1– श्री अजय सिंह S/o श्री भोपाल सिंह राजपूत निवासी- बाणियास तहसील-माण्डल (भीलवाड़ा)

–प्रार्थी

वनाम

1– जगदीश कंवर D/o श्री मदन सिंह राजपूत निवासी- बाणियास तहसील-माण्डल (भीलवाड़ा) (पृष्ठांकित प्रा०पत्र सलंग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 18-4-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम........बाणियास........पटवार हल्का........धुंवाला........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 पृष्ठांकित पिछले पृष्ठ पर कुल किता........20........रकबा........7.4487 हेक्टेयर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संवंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-02-2023.....को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........बाणियास........पटवार हल्का........धुंवाला........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. पृष्ठांकित पिछले पृष्ठ पर अंकित कुल किता........20........रकबा........7.4487........हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक........माण्डल को........3000/-........रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आराजी नं. 104, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115,
116, 135, 136, 144, 145, 368, 369, 370
371, 373, 374, 375, कुल किता 20 कुल
रकबा 7.4487 हेक्टेयर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand
Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:44 IST
Reason: SelfAttested